न्यायालय अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश, विशेष न्यायालय सं० 02,
(भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम) मेरठ
उपस्थितः पी०एन० पाण्डेय (एच०जे०एस०)
विशेष दाण्डिक वाद संख्याः 16/2018

उ०प्र० राज्य ....अभियोजक

बनाम

अखिलेश यादव, तत्कालीन सिपाही डायल 100 यू०पी०, थाना सिकन्द्राराऊ, जिला हाथरस
..........अभियुक्त

मु०अ०सं०–503/2017,
धारा–323,504 भा०दं०सं० व
7/13 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम,
थाना–सिकन्द्राराऊ, जिला–हाथरस

निर्णय

पुलिस थाना सिकन्द्राराऊ, जिला–हाथरस पर पंजीकृत अभियुक्त चालक सिपाही अखिलेश यादव के विरूद्ध उपरोक्त प्रकरण में सम्बन्धित विवेचक द्वारा आरोपपत्र न्यायालय में प्रस्तुत करने पर हस्तगत विशेष दाण्डिक वाद का विचारण प्रारम्भ हुआ।

2. संक्षेप में अभियोजन कथानक इस प्रकार है कि वादी केशवदेव शर्मा द्वारा एक लिखिथ तहरीर दिनांकित 28.07.2017 पुलिस अधिक्षक हाथरस को इस आशय की प्रस्तुत की गई है कि वह छीतीपुर, थाना हसायन, जिला हाथरस का रहने वाला है। वह एक दिन अपनी जीप में ट्राली बांधकर सिकन्द्राराऊ अपनी बुआ जी के यहां छोडने जा रहा था। तभी रास्ते में नहर के पास 100 नं० गाडी में बैठे अखिलेश यादव ने उसे रोक लिया, उसकी गाडी की आर०सी० ले ली और उसे पीटना शुरु कर दिया। फिर उससे कहा कि 10,000/– रुपये चाहिये नहीं तो उठा के दो मिनट में बन्द कर दूंगा। उसने दिनांक 26.07.2017 को समय करीब 10.00 बजे अंकन 7,000/– रुपये नगद उसे दिये, जिसकी उसने वीडियों बना ली, जो उसके पास है। अभी 3,000/– रुपये के लिये वह उससे गाली–गलौज करता है तथा उसकी गाडी की आर०सी० वापस नहीं की है।

3. उक्त तहरीर के आधार पर यह अभियोग मु०अ०सं०–503/2017, धारा–7/13 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988, थाना सिकन्द्राराऊ, जिला हाथरस पर अभियुक्त चालक सिपाही अखिलेश यादव उपरोक्त के विरूद्ध पंजीकृत हुआ तथा विवेचना प्रारम्भ हुई।

4. दौरान विवेचना विवेचक द्वारा शिकायतकर्ता/वादी तथा गवाहान के बयान अंकित किये गये। साथ ही घटनास्थल का निरीक्षण कर नक्शा–नजरी तैयार करते हुए, अभियुक्त के विरूद्ध अभियोग चलाने हेतु सक्षम प्राधिकारी से विधिक अभियोजन पूर्वानुमति भी प्राप्त की गई। इस प्रकार अन्य आवश्यक कार्यवाही पूर्ण कर, पर्याप्त आधार पाये जाने पर अभियुक्त के विरूद्ध आरोपपत्र अन्तर्गत धारा 323,504 भा०दं०सं० व 7/13 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।

5. आरोपपत्र न्यायालय में प्राप्त होने पर अभियुक्त को तलब कर उसके विरूद्ध दिनांक 02.02.2019 को धारा 7,13(2) भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 के अधीन आरोप गठित किया गया, जिससे अभियुक्त ने इन्कार किया और परीक्षण की याचना की।

6. अभियोजन पक्ष को साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान किया गया तो प्रलेखीय साक्ष्य में चिक प्र०सू०रि० को बतौर प्रदर्श क–1, नकल जी०डी० कायमी मुकदमा को बतौर प्रदर्श क–2, तहरीर को बतौर प्रदर्श क–3, नक्शा–नजरी घटनास्थल को बतौर प्रदर्श क–4, आरोपपत्र को बतौर प्रदर्श क–5 तथा अभियोजन स्वीकृति को बतौर प्रदर्श क–6 न्यायालय को उपलब्ध कराया गया है।

7. अभियोजन पक्ष द्वारा मौखिक साक्ष्य में हैड कां० 95 कायम सिंह यादव (चिक प्र०सू०रि०/जी०डी० कायमी मुकदमा) को बतौर पी०डब्ल्यू० 1, केशव देव शर्मा (शिकायतकर्ता/वादी) को बतौर पी०डब्लयू० 2, योगेश कुमार, तत्कालीन क्षेत्राधिकारी, शादाबाद (विवेचक) को बतौर पी०डब्लयू० 3 तथा सुशील घूले, पुलिस अधीक्षक (अभियोजन स्वीकृति प्रदाता) को बतौर पी०डब्लयू० 4 परीक्षित कराया गया है।

8. पी०डब्ल्यू०–1 हैड कां० 95 कायम सिंह यादव (चिक प्र०सू०रि०/जी०डी० कायमी मुकदमा) ने अपनी मुख्य–पृच्छा में सशपथ कथन किया है कि दिनांक 30.07.2017 को वह थाना सिकन्द्राराऊ, जनपद हाथरस में तैनात था। उस दिन मु०अ०सं० 503/2017, धारा 7/13 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के मुकदमें की चिक प्र०सू०रि० उसने वादी मुकदमा की असल तहरीर के आधार पर कम्प्यूटर आपरेटर नितिन संखवार से शब्द व शब्द कम्प्यूटर पर टाईप करायी थी। गवाह ने शामिल मिसल कागज सं० 4अ/1 मुकदमे की चिक प्र०सू०रि० को देखकर कहा कि यह वही चिक है जो उसने कम्प्यूटर आपरेटर से कम्प्यूटर पर टाईप करायी थी, जिसकी वह शिनाख्त करता है, जिस पर प्रदर्श क–1 डाला गया। इस मुकदमें का खुलाशा उसने बहवाले नकल रपट नं० 57 समय 20.30 बजे पर किया था, जो दिनांक 30.07.2017 को ही किया था। गवाह ने शामिल मिसल कागज सं० 6अ/1 असल जी०डी० की कार्बन कापी को देखकर कहा कि यह उसके हस्तलेख एवं दस्तखती में है, जो असल जी०डी० की हु–ब–हु है। कार्बन कॉपी को वह अपने हस्ताक्षर से प्रमाणित करता है, जिस पर प्रदर्श क–2 डाला गया।

9. पी०डब्ल्यू०–2 केशव देव शर्मा (शिकायतकर्ता/वादी) ने अपनी मुख्य–पृच्छा में सशपथ कथन किया है कि वह एक दिन अपनी जीप में ट्राली बांधकर सिकन्द्राराऊ अपनी बुआ जी के यहां छोडने जा रहा था। तभी सिकन्द्राराऊ नहर के पास खडी 100 नं० की गाडी में बैठे अखिलेश यादव सिपाही ने उसकी गाडी रुकवा ली और कागज मांगे। उसने अपना ड्राईविंग लाईसेन्स और अपनी गाडी के कागज दिखाये। तभी अखिलेश यादव ने उससे कहा कि 'गाडी का प्रदुषण कार्ड नहीं है और गाडी से ट्राली बांधकर ले जा रहे हो। दो मिनट में उठाकर बन्द कर दूंगा।' उसने कहा कि 'वह अपनी बुआ के यहा ट्राली छोडने जा रहा है।' तभी उसे उसने तीन–चार थप्पड मारे और बोला कि 'जबान लडा रहा है' और दस हजार रुपये मांगे। उसने कहा कि उसके पास इतने पैसे नहीं है तो उसकी गाडी की आर०सी० रख ली और बोला 'दस हजार रुपये दे जाना और गाडी की आर०सी० ले जाना' और उसका मोबाइल नम्बर भी ले लिया और उसे जाने दिया। दिनांक 26.07.2017 को सुबह करीब दस बजे उसने फोन किया और बोला कि 'वह देवेन्द्र यादव की कोठी के पास खडा है, उसे पैसे दे जाओ।' यह फोन उसके फोन नम्बर पर अखिथलेश यादव ने किया था। वह अपने साथी को लेकर तुरन्त उसके पास गया और उसने उसे सात हजार रुपये दिये। साथी नीरज शर्मा ने रुपये देते समय उसकी वीडियों बना ली और वह बोला 'तीन हजार रुपये और देकर जाना तथा गाडी की आर०सी० ले जाना।' उसके बाद दिनांक 28.07.2017 को उसने पुलिस अधीक्षक, हाथरस को वीडियों दिखाते हुए लिखित में तहरीर दी। तहरीर पत्रावली पर कागज सं० 4अ/3 के रुप में उपलब्ध है। यह उसके हस्तलेख व हस्ताक्षर में है, जिस पर प्रदर्श क–3 डाला गया। दिनांक 28.07.2017 की शाम को करीब 03.00 बजे उसके फोन पर फिर कॉल कर उसने धमकी दी थी कि 'तुमने व्हाट्सएप पर वीडियों डलवा दी है। तुम्हे देख लूंगा।' उसने बनायी गयी वीडियों की सी०डी० पुलिस को दे दी है।

10. पी०डब्ल्यू०–3 योगेश कुमार, तत्कालीन क्षेत्राधिकारी, शादाबाद (विवेचक) ने अपनी मुख्य–पृच्छा में सशपथ कथन किया है कि दिनांक 04.08.2017 को वह क्षेत्राधिकारी सादाबाद, जिला हाथरस के पद पर कार्यरत था। उस दिन उसने मु०अ०सं० 503/2017, धारा 7/13 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की विवेचना प्रारम्भ की थी। उसके द्वारा नकल आदेश, नकल चिक प्र०सू०रि०, नकल रपट रोजनामचा में अंकित किया गया। पर्चा नं० 2 में बयान वादी, नकल प्रारंभिक जांच व तकनीकी साक्ष्य का अवलोकन कर सी०डी० में अंकित किया गया। दिनांक 25.08.2017 को पर्चा नं० 3 में निरीक्षण घटनास्थल कर मौके पर नक्शा–नजरी बनाया गया, जो पत्रावली पर कागज सं० 7क है। इसपर उसके हस्ताक्षर है, इस पर प्रदर्श क–4 डाला गया। उसी दिन उसने समाई साक्ष्य में गवाह श्री सतेन्द्र कुमार, क्षेत्राधिकारी सिकन्द्राराऊ का बयान सी०डी० में अंकित किया था। दिनांक 31.08.2017 को पर्चा नं० 4 में अभियुक्त अखिलेश के खिलाफ अजमानतीय वारण्ट हेतु प्रार्थनापत्र दिया गया था। दिनांक 06.10.2017 को पर्चा नं० 9 में अभियुक्त के द्वारा दिया गया माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद के आदेश की नकल सी०डी० में अंकित की गयी। दिनक 22.10.2017 को पर्चा नं० 10 में बयान लेखक प्र०सू०रि० सी०डी० में अंकित किया गया तथा अभियुक्त अखिलेश के विरुद्ध पर्याप्त सबूत पाते हुए आरोपपत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया, जो पत्रावली पर कागज सं० 3क/1 व 3क/2 है। इस पर उसके हस्ताक्षर है, इस पर प्रदर्श क–5 डाला गया। दिनांक 04.11.2017 को पूरक केस डायरी में उसके द्वारा प्राप्त की गयी अभियोजन स्वीकृति की नकल अंकित की गयी।

11. पी०डब्ल्यू०–4 सुशील घूले, पुलिस अधीक्षक (अभियोजन स्वीकृति प्रदाता) ने अपनी मुख्य–पृच्छा में सशपथ कथन किया है कि दिनांक 08.11.2017 को वह पुलिस अधीक्षक, हाथरस के पद पर तैनात था। उस दिन मु०अ०सं० 503/2017, धारा 323,504 भा०दं०सं० व धारा 7/13 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, थाना सिकन्द्राराऊ, जिला हाथरस, सरकार बनाम अखिलेश यादव की विवेचना से संबंधित समस्त प्रपत्र मय सी०डी० लेकर क्षेत्राधिकारी शादाबाद उसके कार्यालय आये थे। उसके द्वारा संबंधित अभियोग दैनिकी का अवलोकन किया गया था। विवेचक द्वारा पर्याप्त साक्ष्यों के आधार पर अभियुक्त अखिलेश कुमार के विरुद्ध अभियोजन अनुमति उसके द्वारा प्रदान की गयी थी। वह अखिलेश कुमार को पद पर रखने तथा पद से हटाने का सक्षम अधिकारी होने के नाते, अखिलेश कुमार के विरुद्ध अभियोग चलाने की अनुमति उसके द्वारा प्रदान की गयी थी, जो पत्रावली पर कागज सं० 8क है, जो उसके द्वारा बोल–बोलकर स्टेनों से टाईप करायी गयी थी। जिस पर उसके हस्ताक्षर है, इस पर प्रदर्श क–6 डाला गया।

12. अभियोजन साक्ष्य समाप्त होने पर दिनांक 14.09.2021 को अभियुक्त का कथन अन्तर्गत धारा 313 द०प्र०सं० अंकित किया गया, जिसमें अभियुक्त ने साक्षीगण के कथनों को गलत बताते हुए स्वयं को निर्दोष बताया है। यह भी अभिकथन किया गया है कि वह 100 डायल पी०आर०वी० सं० 1111 पर नियुक्त था। दिनांक 29/30–06–2017 को नाईट डयूटी समाप्त करके वह दिनांक 30–06–2017 को अपने मित्र डा० धीरज चौधरी के साथ डिजायर गाडी, जो उनके फूफा उदय सिंह पुत्र बनी सिंह, निवासी तालसपुर, जनपद अलीगढ के नाम है, से क्रय की थी; से हसायन कस्बा में गया था। हसायन बाजार में वार्ड सं० 3, मौहल्ला अहीरान खेडा, नाहर सिंह के मकान के पास सामने से एक बुग्गी को आता देखकर सडक पर स्थान कम देखकर उसने कार को एक साइड में खड़ा कर दिया था। तभी उसके पीछे से बिना नम्बर की एक नयी अपाची मोटरसाईकिल, जिस पर तीन लोग सवार थे, आयी और कार में पीछे से कार में टक्कर मारी तथा कार की दाहिनी साइड से जबरदस्त रगड लगाते हुये चली गयी। आगे बाईक चालक को लोगो ने पकड लिया। चालक ने अपना नाम भूपेन्द्र कुशवाहा पुत्र नेत्रपाल सिंह बताया था। उसने उससे कानूनी कार्यवाही के लिए थाने चलने के लिए कहा था तो वह हाथ–पैर जोडने लगा था कि उसकी नयी गाडी है, अभी कागज व बीमा भी नहीं है, यहीं

फैसला कर लो। उसका नुकसान वह दे देगा। लोगो ने भी कहा था कि दीवानजी, जब यह नुकसान की भरपायी देने को तैयार है तो फैसला कर लो। तब मौके पर उपस्थित लोगो ने उसकी कार दुर्घटना की भरपायी का फैसला अंकन 10,000/–रूपये में करा दिया था। तब भूपेन्द्र ने मौके पर अंकन 1000/–रूपये उसे दिये और शेष अंकन 7000/–रूपये के लिए कहा कि उसका थ्रेसर केशव देव (वादी) के पास है। उससे बात की गयी तो केशव ने हामी भरते हुये अंकन 7000/–रूपये दो दिन में देने का वायदा किया था। यह बाते वहां पर उपस्थित नीटू से हुई थी और नीटू को ही अंकन 7000/–रूपये केशव ने देने को कहा था। नीटू ने उससे पैसा मिलने के बाद, पैसा ले जाने के लिए कहा था। शेष अंकन 2000/–रूपये की जिम्मेदारी सोनू पुत्र श्यामबीर ने ली थी। किन्तु वादी ने धोखे से गाडी की नुकसान की भरपायी के अंकन 7000/–रूपये देते समय, पैसा गिनते समय, वीडियो बना ली थी। उसने कोई अवैध पारितोषण प्राप्त नही किया है। केवल अपनी गाडी की क्षति का पैसा प्राप्त किया था, जो भूपेन्द्र व मौके पर उपस्थित लोगों ने गाडी की क्षतिपूर्ति का फैसला कराया था। फैसला करा देने के कारण उसने कोई कानूनी कार्यवाही अपाचे चालक भूपेन्द्र के विरुद्ध नहीं की थी। साथ ही अभियुक्त द्वारा बचाव साक्ष्य के अवसर की याचना भी की गई।

13. बचाव साक्ष्य का अवसर प्रदान किये जाने पर अभियुक्त की तरफ से मौखिक साक्ष्य में मुकेश कुमार उर्फ नीटू (साक्षी सडक दूर्घटना/साक्षी सुलह) को बतौर डी०डब्ल्यू० 1 तथा रामप्रकाश (साक्षी सडक दूर्घटना/साक्षी सुलह) को बतौर डी०डब्ल्यू० 2 न्यायालय में परीक्षित कराया गया।

14. डी०डब्ल्यू० 1 मुकेश कुमार उर्फ नीटू (साक्षी सडक दूर्घटना/साक्षी सुलह) ने अपनी मुख्य–पृच्छा में सशपथ कथन किया है कि दिनांक 30.06.2017 की घटना है। समय करीब 11.30 बजे दिन का था। गांव के मुकेश की दुकान के सामने भीड इकट्ठा हो रही थी। वह वहां पर पहुंचा तो अखिलेश यादव अपनी स्विफट डिजायर गाडी लेकर आया था। उसकी गाडी में साईड में आगे से पीछे तक रगड उसने देखी थी। भूपेन्द्र नामक व्यक्ति ने अपनी अपाचे गाडी से रगड मारी थी। इस मोटरसाईकिल पर भूपेन्द्र के अलावा दो अन्य व्यक्ति और थे। अखिलेश, भूपेन्द्र के खिलाफ रिपोर्ट लिखाने की बात कर रहा था। तब भूपेन्द्र ने कहा था कि उसकी अपाचे मोटरसाईकिल नयी है और उसपर नम्बर भी नहीं पडा है। वह अखिलेश की गाडी का नुकसान देने को तैयार है, रिपोर्ट मत करो। तब वहा उपस्थित लोगों ने व उसने दोनों के बीच दस हजार रुपये में फैसला, गाडी के नुकसान की भरपाई का, करा दिया। तब अपाचे चालक ने एक हजार रुपये अखिलेश को दे दिये थे। दो हजार रुपये सोनू पुत्र श्यामवीर ने भूपेन्द्र को और दिये। तब भी सात हजार रुपये भूपेन्द्र को देने के लिये कहा गया था तो भूपेन्द्र ने अपने परिचित केशव पुत्र नरेन्द्र, निवासी छीपीपुर को फोन कर सात हजार रुपये उसे देने को कहा था, जो वह अखिलेश को देता। भूपेन्द्र का थ्रेसर केशव के यहा पर रखा हुआ था। तब उसने कह दिया था कि जब उसे केशव पैसा दे देगा, तो वह अखिलेश को दे देगा। किन्तु केशव ने उससे बार–बार कहने पर भी पैसा नहीं भिजवाया। वह कई बार उसके घर पर भी गया था। लगभग एक माह बाद केशव ने उससे अखिलेश का मोबाइल नम्बर मांगा था कि वह स्वयं जाकर अखिलेश को रुपये दे देगा। बाद में उसे पता चला कि केशव ने अखिलेश यादव के खिलाफ रिश्वत मांगने का झूठा मुकदमा लिखा दिया था। तब उसने व अन्य लोगों ने पुलिस अधीक्षक को एक्सीडेंट को सही घटना बताते हुए, शपथपत्र दिये थे। पत्रावली पर संलग्न शपथपत्र की छायाप्रति कागज सं० 17ख/33 को देखकर साक्षी ने कहा कि ये ही वो शपथपत्र की छायाप्रतियां है, जो उसने पुलिस अधीक्षक को दिया था। इसपर उसका हस्ताक्षर है, जिसकी वह शिनाख्त करता है।

15. डी०डब्ल्यू० 2 रामप्रकाश (साक्षी सडक दूर्घटना/साक्षी सुलह) ने अपनी मुख्य–पृच्छा में सशपथ कथन किया है कि वह एक दुकानदार है और परचून की दुकान करता है। दिनांक 30.06.2017 को सुबह 11.30 बजे वह अपनी दुकान के लिये सामान खरीदने गया था। उस समय मुकेश की दुकान के सामने काफी

भीड इकट्ठा थी। कस्बे में अखिलेश यादव अपनी स्वीफ्ट डिजायर गाडी से आया था और उसकी गाडी में अपाचे मोटर साईकिल, जो भूपेन्द्र की थी, ने अखिलेश की गाडी में रगड मारकर काफी नुकसान पहुंचा दिया था। अखिलेश भूपेन्द्र के विरुद्ध रिपोर्ट लिखाने को कह रहा था। भूपेन्द्र के साथ दो अन्य लोग भी थे। भूपेन्द्र अखिलेश से रिपोर्ट करने को मना कर रहा था। तब उसने व उपरोक्त भीड ने अखिलेश को समझा दिया था कि उसकी गाडी के नुकसान के पैसे देने को भूपेन्द्र तैयार है। अब रिपोर्ट लिखाने की जरुरत नहीं है। अखिलेश ने वहां उपस्थित लोगों की बात मान ली थी। उसने अखिलेश की गाडी के नुकसान का दस हजार रुपये में फैसला करा दिया था। भूपेन्द्र ने तभी एक हजार रुपये अखिलेश को दे दिये थे और दो हजार रुपये सोनू पुत्र श्यामवीर ने अखिलेश को देने को कहा था। बाकी के सात हजार रुपये केशव पुत्र नरेन्द्र, निवासी छीपीपुर से, जो उसके गांव के पडोस का है, अखिलेश को देने के लिये, नीटू उर्फ मूकेश पुत्र रामकिशोर को देने के लिये हां करवाया था। एक माह तक भी केशव ने नीटू उर्फ मुकेश के बार–बार कहने पर भी सात हजार रुपये नहीं दिये थे। करीब एक माह बाद उसके पडोसी नीटू उर्फ मुकेश से अखिलेश का मोबाइल नम्बर लेकर केशव देव गया था और कहा था कि वह स्वयं जाकर अखिलेश को पैसा दे देगा। बाद में उसे पता चला था कि केशव ने अखिलेश के खिलाफ रिश्वत मांगने का झूठा मुकदमा लिखा दिया है। सही बात से अवगत कराते हुए, उसने एक शपथपत्र पुलिस अधीक्षक, हाथरस को दिया था, जो पत्रावली पर शपथपत्र की छायाप्रति कागज सं० 17ख/15 है। इसपर उसके हस्ताक्षर है, जिसकी वह शिनाख्त करता है।

16. बचावपक्ष की तरफ से प्रलेखीय साक्ष्य में पत्रावली पर ही उपलब्ध कागज सं० 17ख/14 यू०पी० 100 डायल, जनपद हाथरस द्वारा निर्गत जनसूचना अधिकार के तहत सूचनापत्र, डी०डब्ल्यू० 1 मुकेश उर्फ नीटू द्वारा पुलिस अधीक्षक, हाथरस को प्रस्तुत शपथपत्र दिनांकित 02.08.2017 की प्रति कागज संख्या 17ख/33–34 तथा डी०डब्ल्यू० 2 रामप्रकाश द्वारा पुलिस अधीक्षक, हाथरस को प्रस्तुत शपथपत्र दिनांकित 02.08.2017 की प्रति कागज संख्या 17ख/15–16 पर न्यायालय का ध्यान आकृष्ट कराया गया। बचाव पक्ष की तरफ से अन्य कोई प्रलेखीय या मौखिक साक्ष्य न्यायालय में प्रस्तुत नहीं किया गया है।

17. बचाव साक्ष्य का अवसर समाप्त होने पर अभियुक्त द्वारा धारा 437ए द०प्र०सं० के अधीन बन्धपत्र एवं सक्षम प्रतिभू पत्रों को भी न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।

18. विद्वान विशेष लोक अभियोजक का यह तर्क था कि अभियोजन पक्ष ने अपने साक्ष्यों से अभियोजन कथानक को साबित करने का पूर्ण प्रयास किया है। अभियुक्त द्वारा शिकायकर्ता से उसकी जीप के कागजात चैक करने के नाम पर अंकन 10,000/–रूपये के उत्कोच की मांग की गई, जिसका समर्थन शिकायकर्ता ने अपने कथनों में किया है। साथ ही उक्त उत्कोच धनराशि देते समय शिकायतकर्ता द्वारा अपने साथी के सहयोग से उसका वीडियो क्लिप भी बनाया गया जिसकी compact disc (c.d.) पत्रावली पर उपलब्ध है। अभियुक्त के लोकसेवक होने के कारण, सक्षम प्राधिकारी से अभियोजन पूर्वानुमति भी प्राप्त की गई है। पत्रावली पर तमाम प्रलेखीय तथा मौखिक साक्ष्य उपलब्ध हैं, जो अभियुक्त के द्वारा घटना कारित करने की पुष्टि करते हैं। इस प्रकार अभियुक्त को दोषसिद्ध करने के लिए पर्याप्त साक्ष्य पत्रावली पर उपलब्ध हैं। अतः अभियुक्त को दोषसिद्ध किया जाये।

19. जिस पर विद्वान अधिवक्ता बचाव पक्ष का यह तर्क था कि अभियोजन पक्ष अपने साक्षीगण के कथनों से अभियोजन कथानक को युक्ति–युक्त संदेह से परे साबित करने में असफल रहा है। भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अधीन अपराध को साबित करने हेतु उत्कोच की मांग, उसकी अभिप्राप्ति तथा स्वैच्छिक प्रतिगृहिता; तीनों आवश्यक तत्व हैं, जिनका साबित होना अनिवार्य है। अवैध पारितोषण की मांग की तिथि स्पष्ट नहीं है। मांग संबंधी घटनास्थल का विवेचक द्वारा न तो निरीक्षण किया गया है और न ही नक्शा–नजरी बनाया गया है।

अभिकथित मांग की तिथि पर अभियुक्त आकस्मिक अवकाश पर रहा है। अभियुक्त द्वारा शिकायकर्ता से अभिकथित अवैध पारितोषण की पश्चातवर्ती मांग मोबाईल फोन द्वारा किया जाना व्यक्त किया गया है, लेकिन ना तो संबंधित मोबाईल को कब्जे में लिया गया है और ना ही कॉल डिटेल रिपोर्ट को ही संकलित किया गया है। अभिकथित मांग का अन्य कोई स्वतन्त्र जनसाक्षी/सम्पोषक साक्ष्य नहीं है। अवैध पारितोषण की अभिप्राप्ति का वीडियो सी०डी० विधिनुसार साबित नहीं है। अभिकथित अभिप्राप्ति का भी कोई स्वतंत्र साक्षी प्रस्तुत नहीं किया गया है। अभिकथित अवैध पारितोषण की बरामदगी भी नहीं हुई है। अभियोजन पूर्वानुमति न्यायिक मस्तिष्क के बिना प्रयोग किये निर्गत की गई है। यह पूर्वानुमति धारा 19 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के आज्ञापक उपबंध के अधीन निर्गत नहीं की गयी है। बचाव अभिकथन तथा साक्ष्य, अभियोजन कथानक को संदिग्ध बनाता है। अभियोजन साक्षीगण द्वारा भी बचाव अभिकथन का आंशिक समर्थन किया गया है। मामले के शिकायतकर्ता के कथनों में विरोधाभास है। इस प्रकार अभियुक्त के विरूद्ध लगाये गये आरोपो को अभियोजन पक्ष युक्ति–युक्त सन्देह से परे साबित करने में असफल रहा है। अतः सन्देह का लाभ देते हुए अभियुक्त को दोषमुक्त किया जाये।

20. मेरे द्वारा विद्वान विशेष लोक अभियोजक तथा विद्वान अधिवक्ता बचाव पक्ष के तर्कों को सुना गया और पत्रावली का सम्यक परिशीलन किया गया।

21. पत्रावली के अवलोकन से सुसंगत तथ्य इस प्रकार पाये जाते हैं कि दिनांक 26.07.2017 से 12–14 दिन पूर्व की प्रथम घटना इस प्रकार बतायी गयी है कि शाम छः–सात बजे शिकायतकर्ता अपनी जीप में ट्राली बांधकर सिकन्द्राराऊ अपनी बुआ के घर जा रहा था कि रास्ते में नहर पुलिया से रति का नंगला की तरफ मौके पर खडी यू०पी० 100 डायल के चालक अभियुक्त द्वारा शिकायकर्ता के वाहन के प्रपत्रों की जांच के नाम पर अंकन 10,000/– रुपये अवैध पारितोषण की मांग की गयी।

22. दिनांक 26.07.2017 की द्वितीय घटना समय करीब 10.00 बजे दिन का दर्शाते हुए यह व्यक्त किया गया है कि अभियुक्त द्वारा अपनी मोबाइल से शिकायतकर्ता की मोबाइल पर फोन कर पंत चौराहे के पास स्थित पूर्व सांसद देवेन्द्र सिंह यादव के आहते के पास आकर अभिकथित मांग की धनराशि प्रदान करने को कहा गया। शिकायतकर्ता ने अपने साथी नीरज शर्मा के साथ मौके पर पहुंचकर अभिकथित धनराशि अभियुक्त को देते समय, अपने साथी के द्वारा अभिकथित अदायगी का मोबाइल से वीडियों बनाना और उसकी compact disc (c.d.) तैयार करना व्यक्त किया गया है।

23. शिकायकर्ता केशवदेव पी०डब्लयू० 2 द्वारा एक लिखित तहरीर प्रदर्श क–3 दिनांकित 28.07.2017 पुलिस अधीक्षक हाथरस को प्रदान की गयी। जिसपर प्रारंभिक जांच का गठन करने और अभियुक्त के निलंबन आदेश तैयार करने हेतु आदेशित किया गया। उसी अनुक्रम में दिनांक 30.07.2017 को थाना स्थानीय पर तहरीर प्राप्त होने पर वहां नियुक्त हेड कां० 95 कायम सिंह यादव पी०डब्लयू० 1 द्वारा मामले की प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रदर्श क–1 दिनांक 30.07.2017 को ही समय 20.30 बजे पंजीकृत की गयी। साथ ही मामले का खुलाशा बहवाले रपट नं० 57 समय 20.30 बजे उसी दिन करते हुए नकल जी०डी० कायमी मुकदमा प्रदर्श क–2 भी तैयार किया गया।

24. मामले की विवेचना तत्कालीन क्षेत्राधिकारी सादाबाद योगेश कुमार पी०डब्लयू० 3 द्वारा प्राप्त की गयी और दौरान विवेचना घटनास्थल का निरीक्षण नक्शा–नजरी प्रदर्श क–4 दिनांक 25.08.2017 को तैयार किया गया। दौरान विवेचना संकलित साक्ष्यों के अनुसार पर्याप्त आधार पाये जाने पर अभियुक्त के विरुद्ध आरोपपत्र प्रदर्श क–5 दिनांक 22.10.2017 को तैयार किया गया। साथ ही मामले में अभियोजन पूर्वानुमति प्रदर्श क–6 दिनांक 03.11.2017 को तत्कालीन पुलिस अधीक्षक, हाथरस सुशील घूले पी०डब्लयू० 4 से प्राप्त कर अभियोग न्यायालय प्रस्तुत किया गया है।

25. आरोपपत्र प्राप्त होने पर अभियुक्त को न्यायालय में तलब कर दिनांक 02.02.2019 को धारा 7/13(2) भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अधीन उसके विरूद्ध आरोप गठित किया गया, जिससे अभियुक्त ने इन्कार किया और परीक्षण की याचना की। तब अभियोजन पक्ष द्वारा कुल 4 अभियोजन साक्षीगण को परीक्षित कराया गया। दिनांक 14.09.2021 को अभियुक्त कथन अन्तर्गत धारा 313 द०प्र०सं० अंकित किया गया और बचाव पक्ष द्वारा मौखिक साक्ष्य में डी०डब्ल्यू० 1 मुकेश कुमार उर्फ नीटू तथा डी०डब्ल्यू० 2 रामप्रकाश को परीक्षित कराते हुए सुसंगत प्रलेखीय साक्ष्यों पर न्यायालय का ध्यान आकृष्ट कराया गया। अब न्यायालय को यह देखना है कि अभियोजन पक्ष द्वारा अपने साक्ष्यों से अभियुक्त के विरूद्ध लगाये गये उक्त आरोप को युक्ति–युक्त सन्देह से परे साबित किया जा सका है अथवा नहीं?

26. अभियोजन पक्ष की तरफ से विद्वान विशेष लोक अभियोजक का यह तर्क था कि अभियुक्त द्वारा शिकायकर्ता से अंकन 10,000/–रूपये उत्कोच की मांग, शिकायतकर्ता के वाहन संबंधी प्रपत्रों की जांच के आधार पर, की गई थी और उसी अनुक्रम में शिकायकर्ता द्वारा अपने साथी के सहयोग से अभिकथित धनराशि प्रदान करते समय मोबाइल से उसका वीडियो क्लिप भी तैयार किया गया। इस प्रकार मामले में उत्कोच की मांग तथा उसकी अभिप्राप्ति भी साबित है।

27. उक्त तर्क के प्रकाश में पत्रावली पर उपलब्ध शिकायकर्ता केशव देव के तहरीर प्रदर्श क–3 दिनांकित 28.07.2017 के अवलोकन से यह पाया जाता है कि शिकायतकर्ता एक दिन अपनी जीप में ट्राली बांधकर सिकन्द्राराऊ अपनी बुआ जी के यहां छोडने जा रहा था। तभी रास्ते में नहर के पास 100 नं० गाडी में बैठे अखिलेश यादव ने उसे रोक लिया, उसकी गाडी की आर०सी० ले ली और उसे पीटना शुरु कर दिया। फिर उससे कहा कि 10,000/– रुपये चाहिये नहीं तो उठा के दो मिनट में बन्द कर दूंगा। उसने दिनांक 26.07.2017 को समय करीब 10.00 बजे अंकन 7,000/– रुपये नगद उसे दिये, जिसकी उसने वीडियों बना ली, जो उसके पास है। अभी 3,000/– रुपये के लिये वह उससे गाली–गलौज करता है तथा उसकी गाडी की आर०सी० वापस नहीं की है।

28. इस तहरीर में वर्णित अभिकथनों के सापेक्ष शिकायकर्ता/ वादी केशवदेव बतौर पी०डब्लयू० 2 न्यायालय में यह कथन किया है कि वह एक दिन अपनी जीप में ट्राली बांधकर सिकन्द्राराऊ अपनी बुआ जी के यहां छोडने जा रहा था। तभी सिकन्द्राराऊ नहर के पास खडी 100 नं० की गाडी में बैठे अखिलेश यादव सिपाही ने उसकी गाडी रुकवा ली और कागज मांगे। उसने अपना ड्राईविंग लाईसेन्स और अपनी गाडी के कागज दिखाये। तभी अखिलेश यादव ने उससे कहा कि 'गाडी का प्रदुषण कार्ड नहीं है और गाडी से ट्राली बांधकर ले जा रहे हो। दो मिनट में उठाकर बन्द कर दूंगा।' उसने कहा कि 'वह अपनी बुआ के यहा ट्राली छोडने जा रहा है।' तभी उसे उसने तीन–चार थप्पड मारे और बोला कि 'जबान लडा रहा है' और दस हजार रुपये मांगे। उसने कहा कि उसके पास इतने पैसे नहीं है तो उसकी गाडी की आर०सी० रख ली और बोला 'दस हजार रुपये दे जाना और गाडी की आर०सी० ले जाना' और उसका मोबाइल नम्बर भी ले लिया और उसे जाने दिया। दिनांक 26.07.2017 को सुबह करीब दस बजे उसने फोन किया और बोला कि 'वह देवेन्द्र यादव की कोठी के पास खडा है, उसे पैसे दे जाओ।' यह फोन उसके फोन नम्बर पर अखिलेश यादव ने किया था। वह अपने साथी को लेकर तुरन्त उसके पास गया और उसने उसे सात हजार रुपये दिये। साथी नीरज शर्मा ने रुपये देते समय उसकी वीडियों बना ली और वह बोला 'तीन हजार रुपये और देकर जाना तथा गाडी की आर०सी० ले जाना।' उसके बाद दिनांक 28.07.2017 को उसने पुलिस अधीक्षक, हाथरस को वीडियों दिखाते हुए लिखित में तहरीर दी। तहरीर पत्रावली पर कागज सं० 4अ/3 के रुप में उपलब्ध है। यह उसके हस्तलेख व हस्ताक्षर में है, जिस पर प्रदर्श

क–3 डाला गया। दिनांक 28.07.2017 की शाम को करीब 03.00 बजे उसके फोन पर फिर कॉल कर उसने धमकी दी थी कि 'तुमने व्हाट्सएप पर वीडियों डलवा दी है। तुम्हे देख लूंगा।' उसने बनायी गयी वीडियों की सी०डी० पुलिस को दे दी है। इस प्रकार इस साक्षी द्वारा अपने कथनों में यह व्यक्त किया गया है कि अभियुक्त द्वारा उसके वाहन के प्रपत्रों की जांच के नाम पर उससे उत्कोच धनराशि की मांग की गई। साक्षी द्वारा यह भी व्यक्त किया गया है कि अभियुक्त ने अपने मोबाइल से उसके मोबाइल पर भी अवैध धनराशि की मांग की गयी। तब उसने अपने साथी के सहयोग से अवैध धनराशि देते समय मोबाईल से उसकी वीडियों बना ली गयी।

29. जिसपर बचावपक्ष के विद्वान अधिवक्ता का यह तर्क था कि अवैध पारितोषण की मांग की तिथि स्पष्ट नहीं है। इसलिये अवैध पारितोषण की मांग साबित नहीं है। इस तर्क के प्रकाश में पी०डब्लयू० 2 केशवदेव के कथनों पर न्यायालय का ध्यान आकृष्ट कराया गया। पत्रावली के अवलोकन से यह पाया जाता है कि तहरीर प्रदर्श क–3 तथा शिकायतकर्ता पी०डब्ल्यू० 2 केशवदेव की मुख्य–पृच्छा में अभिकथित अवैध पारितोषण की प्रथम मांग की तिथि उल्लिखित नहीं है। लेकिन इसी साक्षी ने अपन प्रति–पृच्छा में यह व्यक्त किया है कि जिस दिन वह जीप से ट्राली बांधकर ले जा रहा था, उस तारीख को नहीं बता सकता। वह अकेला ही जा रहा था। समय शाम के छः–सात बजे का था। यह घटना दिनांक 14.07.2017 की शाम छः–सात बजे की है। घटना उसे अच्छी तरह से याद है। यह घटना दिनाक 14.07.2017 को सुबह साढे ग्यारह–बारह बजे की नहीं थी, बल्कि शाम के छः–सात बजे की थी। यह घटना दिनांक 14.07.2017 शाम छः–सात बजे के बाद की है जो दिनांक 15.07.2017 या 16.07.2017 की भी हो सकती है। दिनांक 14/15/16 जुलाई 2017 की घटना की रिपोर्ट वह थाने पर पंजीकृत नहीं करायी थी। यह कहना सही है कि वह अपनी तहरीर में घटना का समय व दिनांक अंकित नहीं किया था। लेकिन घटना दिनांक 14/15/16 जुलाई 2017 के शाम छः–सात बजे की है। इस प्रकार इस साक्षी द्वारा अपने कथनों में घटना की तिथि 14/15/16 जुलाई 2017 के शाम की बतायी जा रही है लेकिन उक्त तिथि के संबंध में उसकी स्पष्टता नहीं है।

30. बचावपक्ष के विद्वान अधिवक्ता का यह भी तर्क था कि अभिकथित घटना के समय अभियुक्त आकस्मिक अवकाश पर था। इसलिये उसके द्वारा इस प्रकार की किसी मांग का प्रश्न ही नहीं है। उक्त तर्क के प्रकाश में बचावपक्ष के विद्वान अधिवक्ता द्वारा पत्रावली पर उपलब्ध कागज सं० 17ख/14 पर न्यायालय का ध्यान आकृष्ट कराया गया जो जनसूचना अधिकार के तहत प्राप्त की गयी सूचना है। उक्त तर्क के प्रकाश में पत्रावली के अवलोकन से यह पाया जाता है कि शिकायतकर्ता/वादी का यह कथन है कि प्रथम मांग की घटना के समय वह नहर पुलिया पर 100 डायल वाहन के साथ अपनी ड्यूटी पर था और उसी समय अवैध उत्कोच की मांग की गयी थी। लेकिन पत्रावली पर उपलब्ध कागज सं० 17ख/14, जो यू०पी० 100 डायल, जनपद हाथरस द्वारा निर्गत जनसूचना अधिकार अधिनियम के तहत रिपोर्ट दिनांकित 24.02.2018 है, के अनुसार अभियुक्त कां० 622 अखिलेश यादव माह जुलाई 2017 में सात दिन का आकस्मिक अवकाश लिया था, जिसकी रवानगी दिनांक 14.07.2017 को बहवाले रपट नं० 12 समय 12.35 बजे हुई थी तथा वापसी दिनांक 22.07.2017 को बहवाले रपट नं० 10 समय 11.30 बजे हुई थी। इस प्रकार वादी द्वारा अभिकथित प्रथम मांग की घटना दिनांक 14/15/16 जुलाई 2017 की शाम छः–सात बजे अभियुक्त आकस्मिक अवकाश पर था। इसलिये उस समय उसके द्वारा 100 डायल वाहन पर नहर पुलिया पर ड्यूटी करना कदापि संभव नहीं है। यह तथ्य अभियोजन कथानक को प्रतिकूल ढंग से प्रभावित कर रही है।

31. बचावपक्ष के विद्वान अधिवक्ता का यह भी तर्क था कि अभिकथित प्रथम मांग संबंधी घटनास्थल का निरीक्षण भी विवेचक द्वारा नहीं किया गया है और न ही उसका कोई नक्शा–नजरी बनाया गया है। उक्त तर्क के

प्रकाश में पी०डब्लयू० 2 केशवदेव के कथनों से ऐसा कही प्रकट नहीं हो रहा है कि उसके द्वारा विवेचक को प्रथम मांग संबंधी घटनास्थल का निरीक्षण कराया गया हो। इसी प्रकार मामले के विवेचक पी०डब्लयू० 3 योगेश कुमार द्वारा भी अपने कथनों में यह व्यक्त किया गया है कि घटना का निश्चित समय याद नहीं है। वादी ने उसे नहीं बताया था। घटना का स्थान भी उसे याद नहीं है। वह घटनास्थल पर गया था, जहां पर ट्रैक्टर–ट्राली रोकी गयी थी। लेकिन इस समय उसे याद नहीं है कि वह कहां गया था और कहा का घटनास्थल था, जहां ट्राली रोकी गयी थी। उसने इस घटनास्थल का नक्शा–नजरी नहीं बनाया था। वह इसका कोई कारण नहीं बता सकता कि इस घटनास्थल का नक्शा–नजरी उसने क्यों नहीं बनाया था। वह इस घटनास्थल पर वादी को लेकर नहीं गया था। इस प्रकार इस साक्षी के कथनों से यह विदित हो रहा है कि उसके द्वारा अभिकथित प्रथम मांग की घटनास्थल का निरीक्षण नहीं किया गया और न ही नक्शा–नजरी बनाया गया। इससे प्रथम मांग संबंधी घटनास्थल भी सिद्ध नहीं हो सकी है।

32. बचावपक्ष के विद्वान अधिवक्ता का यह भी तर्क था कि मोबाइल द्वारा पश्चातवर्ती मांग का भी कोई साक्ष्य पत्रावली पर नहीं है। इस तर्क के प्रकाश में पत्रावली के अवलोकन से यह पाया जाता है कि पी०डब्लयू० 2 केशवदेव द्वारा अपने कथनों में यह स्वीकार किया गया है कि गिनांर 26.07.2017 को सुबह करीब 10.00 बजे फोन करके अभियुक्त ने बोला कि वह देवेन्द्र यादव की कोठी के पास खडा है, वह उसे पैसे दे जाए। यह फोन अखिलेश यादव ने उसके फोन पर किया था। उसका मोबाइल नं० 9756145129 व 9058123416 है, ये दोनों नंबर उसने अपनी तहरीर में लिखे थे। इस प्रकार इस साक्षी द्वारा यह स्वीकार किया गया है कि पश्चातवर्ती मांग अभियुक्त द्वारा उसके मोबाइल पर किया गया था लेकिन मामले में विवेचक द्वारा न तो कोई कॉल डिटेल रिपोर्ट संकलित की गयी है और न ही उस संबंध में कोई प्रयास किया गया, ऐसा परिलक्षित हो रहा है। इसी संबंध में यह व्यक्त करना भी समीचीन होगा कि पी०डब्लयू० 2 केशव देव द्वारा अपने कथनों में यह व्यक्त किया गया है कि जब कभी भी अखिलेश यादव ने उसे या उसने अखिलेश यादव को, एक–दूसरे को फोन किया तो उसकी आवाज की रिकार्डिंग नहीं की थी क्योंकि उसके मोबाइल में ऑडियों रिकोर्डिंग नहीं थी। इसी प्रकार विवेचक पी०डब्लयू० 3 योगेश कुमार द्वारा भी यह व्यक्त किया गया है कि उसने अभियुक्त की कोई वायस रिकार्डिंग करके विधि विज्ञान प्रयोगशाला नहीं भेजा था और न ही केशव की वायस रिकार्डिंग विधि विज्ञान प्रयोगशाला भेजा था। उसने वादी केशवदेव तथा अभियुक्त अखिलेश की कॉल डिटेल भी नहीं निकलवायी थी क्योंकि उसने काल डिटेल रिपोर्ट की आवश्यकता नहीं समझी थी। इस प्रकार हस्तगत प्रकरण में कॉल डिटेल रिपोर्ट एक महत्वपूर्ण साक्ष्य हो सकता था लेकिन इस साक्ष्य का अभाव अभियोजन कथानक को प्रतिकूल ढंग से प्रभावित कर रहा है।

33. बचावपक्ष के विद्वान अधिवक्ता द्वारा माननीय सर्वोच्च न्यायालय की पूर्णपीठ द्वारा निर्णीत विधि–व्यवस्था *बी० जयराज बनाम आन्ध्रप्रदेश राज्य, 2014 AIAR (Criminal) 515* पर न्यायालय का ध्यान आकृष्ट कराया गया, जिसमें यह अवधारित किया गया है कि धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अधीन अपराध को साबित करने के लिए यह सुस्थापित विधि है कि अवैध उत्कोच की मांग आवश्यक तत्व है। मात्र अभियुक्त के कब्जे से करैंसी नोटों की बरामदगी के आधार पर धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम का अपराध तब तक गठित नहीं होता, जब तक युक्ति–युक्त संदेह से परे यह साबित ना हो जाये की अभियुक्त द्वारा उक्त धनराशि को उत्कोच समझते हुए, अभिप्राप्त किया गया है। मात्र दूषित नोटों का अभियुक्त के अध्यासन से उसकी बरामदगी इस अपराध के लिए अभियुक्त को दोषी नहीं बनाती, जब तक उसके द्वारा ऐसी धनराशि की मांग साबित ना हो जाये।

34. बचावपक्ष द्वारा ही माननीय सर्वोच्च न्यायालय की पूर्णपीठ द्वारा निर्णीत विधि–व्यवस्था *पी० सत्यनारायण मूर्थि बनाम जिला पुलिस निरीक्षक तथा अन्य, 2015(3) JIC 369 (SC)* पर न्यायालय का ध्यान आकृष्ट कराया गया, जिसमें यह अवधारित किया गया है कि अवैध पारितोषण की मांग के अभाव में, किसी धनराशि की अभिप्राप्ति या उसकी बरामदगी, अभियुक्त के विरूद्ध धारा 7/13 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अधीन अभियोग को साबित करने के लिए पर्याप्त नहीं है।

35. इसी पक्ष द्वारा माननीय सर्वोच्च न्यायालय की ही निर्णीत विधि–व्यवस्था *वी० सेजप्पा बनाम राज्य द्वारा निरीक्षक लोकायुक्त पुलिस, 2016(2) J.Cr.C.1378* पर भी न्यायालय का ध्यान आकृष्ट कराया गया, जिसमें यह अवधारित किया गया है कि धारा 7/13 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अधीन मात्र रूपयों की बरामदगी के आधार पर दोषसिद्धि को पुष्ट नहीं किया जा सकता, जब तक यह सिद्ध ना हो कि अभियुक्त ने कोई धनराशि स्वैच्छया रिश्वत के रूप में प्राप्त किया है।

36. बचावपक्ष के विद्वान अधिवक्ता द्वारा ही माननीय सर्वोच्च न्यायालय की पूर्णपीठ द्वारा निर्णीत अद्यतन विधि–व्यवस्था *एन० विजय कुमार बनाम तमिलनाडु राज्य, 2021(1) JIC 736 (SC)* पर न्यायालय का ध्यान आकृष्ट कराया गया, जिसमें यह अवधारित किया गया है कि यदि भ्रष्टाचार के अपराधिक मामलों में उत्कोच की मांग तथा अभिप्राप्ति युक्ति–युक्त संदेह से परे साबित ना हो तो विचारण न्यायालय द्वारा दोषमुक्ति आदेश एक सम्भावित विचार है, जिसे उच्च न्यायालय द्वारा हस्तक्षेप करके दोषसिद्धि में परिणित नहीं किया जा सकता। अवैध पारितोषण की मांग का साबित ना होना और करेंसी नोटों की बरामदगी होना, किसी अभियुक्त को दोषसिद्ध करने के लिए पर्याप्त नहीं होता है। माननीय न्यायालय की उक्त निर्णीत विधि–व्यवस्थाओं के प्रति पूर्ण सम्मान प्रकट करते हुए, हस्तगत प्रकरण में भी यह पाया जाता है कि अभियोजन पक्ष, अभियुक्त द्वारा शिकायकर्ता से उत्कोच की मांग, युक्ति–युक्त संदेह से परे साबित करने में असफल रहा है।

37. बचावपक्ष के विद्वान अधिवक्ता का यह भी तर्क था कि अभिकथित प्रथम मांग का अन्य कोई समर्थक/सम्पोषक साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है। मात्र एकल साक्षी शिकायतकर्ता को ही परीक्षित कराया गया है। उक्त तर्क के प्रकाश में पी०डब्लयू० 2 केशवदेव के कथनों के अवलोकन से पाया जता है कि उसके द्वारा यह स्वीकार किया गया है कि जहां पर उसकी गाडी के कागज लिये गये थे, वहां पर दो पुलिसकर्मी गाडी में बैठे हुए थे। वह गाडी में बैठे पुलिसकर्मियों के नाम नहीं बता सकता। उनके अलावा गाडी में और कोई नहीं था। वह नहीं बता सकता कि वे हल्के से थे, भारी से थे या छोटे से थे। नहर पर जो गाडी खडी थी उसकी नं० यू०पी० 32–डी०जी० 1111 था। उसने उन दोनों सिपाहियों के खिलाफ कोई तहरीर नहीं दी थी। इस प्रकार इस साक्षी के कथनों से यह प्रकट हो रहा है कि घटना के समय यू०पी० 100 डायल वाहन पर अभियुक्त के अलावा दो अन्य सिपाही भी तैनात थे। उन दोनों आरक्षीगण के बारे में यद्यपि कि वादी/शिकायतकर्ता कोई स्पष्टीकरण नहीं दे सका है। लेकिन उक्त दोनों आरक्षीगण इस मामले में मांग के तथ्य को साबित करने के लिये महत्वपूर्ण साक्षी थे लेकिन उन्हें परीक्षित नहीं कराया गया है। इसी संदर्भ में विवेचक पी०डब्लयू० 3 योगेश कुमार का यह कथन भी सुसंगत है कि आरक्षीगण राकेश कुमार व सुदेश कुमार द्वारा अपनी ड्यूटी का समय व दिनांक तो नहीं बताया गया था लेकिन उन्होंने वादी के साथ मारपीट करने, वादी की ट्राली रोकने वाली बात नहीं बतायी थी और न ही आर०सी० लेने वाली बात बतायी थी। आरक्षीगण ने यह बताया था कि नहर पर ऐसी कोई घटना नहीं घटी थी। इस प्रकार साक्षीगण के उक्त कथनों से बचाव पक्ष के इस तर्क में बल पाया जाता है कि अभिकथित मांग की घटना का कोई सम्पोषक/समर्थक साक्ष्य उपलब्ध नहीं है।

38. पत्रावली के अवलोकन से यह भी विदित हो रहा है कि इस प्रथम मांग की घटना का

वादी/शिकायतकर्ता द्वारा कही कोई लिखित या मौखिक शिकायत भी नहीं की गयी है, जबकि घटनास्थल पर वाहनों का आवागमन भी था। इस संदर्भ में पी०डब्लयू० 2 केशवदेव का यह कथन सुसंगत है कि घटनास्थल से वाहन आ–जा रहे थे। वहां पर कोई व्यक्ति पैदल नहीं आ–जा रहा था। घटनास्थल से आगे जाने के बाद उसने किसी से भी घटना के बारे में नहीं बताया था, न ही किसी वाहन वाले को रोककर घटना के बारे में बताया था। उसने दिनांक 28.07.2017 से पहले कोई शिकायत किसी प्रकार की पुलिसकर्मी के विरुद्ध नहीं की थी और न ही उसने कोई शिकायत किसी विधायक या अधिकारी को की थी। उसे लगभग दिन में 10.00 बजे देवेन्द्र सिंह के अहाते पर फोन करके बुलाया गया था। वह लगभग दस–ग्यारह बजे के बीच वहां पहुंच गया था। जिस दिन उससे रुपया मांगा गया, उस दिन भी इसकी शिकायत किसी उच्चाधिकारी से नहीं की थी। उसने देवेन्द्र के अहाते पर पहुंचक किसी दुकानदार या किसी अधिकारी से शिकायत नहीं की थी कि पुलिस वाला उससे रिश्वत मांग रहा है। वह पुलिसकर्मी को पैसा दिया और वापस घर आ गया। घर आकर उस दिन उसने थाने पर शिकायत नहीं की थी। इस प्रकार इस साक्षी के उक्त कथनों से यह विदित हो रहा है कि घटनास्थल पर वाहन का आवागमन भी था। वह शाम को अपनी बुआ के घर भी पहुंचा लेकिन इस घटना के संबंध में किसी व्यक्ति, किसी अधिकारी या थाने पर कोई सूचना न देना, मामले को संदेहास्पद बनाता है।

39. बचावपक्ष के विद्वान अधिवक्ता का यह भी तर्क था कि अवैध पारितोषण की अभिप्राप्ति संबंधी वीडियों सी०डी० भी विधिनुसार साबित नहीं है। उक्त तर्क के प्रकाश में पत्रावली के अवलोकन से पाया जाता है कि पत्रावली पर अभिकथित compact disc (c.d.) कागज सं० 11क के रुप में उपलब्ध है। इस संबंध में पी०डब्लयू० 2 केशवदेव का यह कथन व्यक्त करना समीचीन होगा कि दिनांक 29.07.2017 को उसने विवेचक को वीडियो दी थी। यह वीडियों उसने मोबाइल से सी०डी० में बनवाकर, दुकान से निकलवाकर, विवेचक को दी थी। यह उसने दिनांक 28.07.2017 की शाम को दुकान पर बनवाकर विवेचक को दी थी। वह दुकानदार का नाम नहीं बता सकता। यह दुकान कस्बा हाथरस में ही है। दिनांक 26.07.2017 को वीडियो बनायी थी और दिनांक 28.07.2017 को उसकी कापी करायी थी। जिस मोबाइल से वीडियो बनायी थी वह मोबाइल उसने विवेचक को नहीं दिया था। शिकायत वाले दिन ही उसने कप्तान साहब को मोबाइल नहीं दिया था, वीडियो कैसेट दी थी। फिर कहा चिप दी थी। जिस मोबाइल से वीडियो बनायी थी, वह मोबाइल न तो उसके द्वारा दिया गया और न ही वह मोबाइल सील किया गया था। उसकी आवाज का भी कोई सैम्पल लिया गया था। जिस मोबाइल से वीडियों बनायी गयी थी, उसे नहीं पता कि वह किस कंपनी का था। मोबाइल किसी और का था, किसका था उसका नाम वह नहीं बता सकता। जिस मोबाइल से वीडियो बनायी गयी थी, वह मोबाइल उसके पास नहीं है। वह मोबाइल न्यायालय में भी पेश नहीं कर सकता। इस प्रकार इस साक्षी के कथनों से यह विदित हो रहा है कि अभिकथित वीडियों जिस मोबाइल से बनाया गया था, वह मोबाइल विवेचक को नहीं दिया गया बल्कि मोबाइल से वीडियों कैसेट या चिप दी गयी थी। साक्षी उस दुकानदार का नाम भी बताने में असमर्थ रहा है जहां से वह वीडियो कैसेट या चिप तैयार करायी गयी थी। इस प्रकार उक्त कथनों से यह विदित हो रहा है कि अभिकथित वीडियों का प्राथमिक साक्ष्य अभिकथित मोबाइल न्यायालय में प्रस्तुत नहीं किया गया है बल्कि उक्त मोबाइल से वीडियो से वीडियो कैसेट या चिप तैयार कराकर द्वितीयक साक्ष्य न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है। यह तथ्य भी सुसंगत है कि उक्त द्वितीयक साक्ष्य विधि अनुरुप साबित नहीं है, जबकि वह अभिकथित अभिप्राप्ति का एक महत्वपूर्ण इलेक्ट्रानिक दस्तावेज था।

40. इसी संदर्भ में मामले के विवेचक पी०डब्लयू० 3 योगेश कुमार का भी यह कथन सुसंगत है कि जो वीडियो बनायी गयी थी, वह उसने देखी थी। वीडियो बनाये जाने का समय उसे याद नहीं है। उसने अपनी केस

डायरी में भी समय अंकित नहीं किया है। compact disc (c.d.) की फर्द भी उसने नहीं बनायी थी। यह सी०डी० उसने चलाकर देखी थी। कितने और किस–किस लोगो की आवाजे आ रही थी वह नहीं बता सकता। इसका उल्लेख उसने केस डायरी में नहीं किया था और न ही उसे यह ज्ञात है कि कौन–कौन व्यक्ति थे। पैसे का आदान–प्रदान कौन किसको कर रहा था, सी०डी० में देखा था लेकिन केस डायरी में अंकित नहीं किया। वह नहीं बता सकता कि केस डायरी के कौन के पर्चे में उसने इसका उल्लेख किया था। compact disc (c.d.) में स्पष्ट आवाज के बारे में भी वह नहीं बता सकता। इस प्रकार इस विवेचक साक्षी के उक्त कथनों से यह विदित हो रहा है कि उसके द्वारा दौरान विवेचना इस महत्वपूर्ण इलेक्ट्रानिक दस्तावेज के संबंध में सुसंगत तथ्य एकत्रित नहीं किया गया है, जो अभियोजन कथानक को गंभीर संदेह के घेरे में लाती है।

41. इलेक्टानिक दस्तावेजों की साक्ष्य में ग्राह्यता के संबंध में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्णीत विधि–व्यवस्था *अनवर पी०वी० बनाम पी०के० बशीर तथा अन्य, (2014) 10 एस०सी०सी० 473* का उल्लेख महत्वपुर्ण है, जिसमें माननीय न्यायालय द्वारा यह अवधारित किया गया है कि धारा 65 बी भारतीय साक्ष्य अधिनियम में निर्धारित शर्तो के अनुपालन के उपरान्त ही किसी इलैक्ट्रोनिक दस्तावेज का द्वितीयक साक्ष्य ग्राह्य होगा। धारा 65 बी(4) में वर्णित आवश्यकतायें आज्ञापक है, जिसके अनुसार किसी इलैक्ट्रोनिक दस्तावेज जैसे सी०डी०, वी०सी०डी०, पैनड्राईव आदि में संकलित द्वितीयक साक्ष्य तभी ग्राह्य होगा जब उसके साथ निर्धारित प्रमाणपत्र संलग्न होगा।

42. इसी संबंध में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्णीत विधि–व्यवस्था *अर्जुन पण्डितराव खोटकर बनाम कैलाश कुशनराव गोरन्टियाल तथा अन्य, ए०आई०आर० 2020 सुप्रीम कोर्ट 4908* का भी उल्लेख किया जाना समीचीन होगा जिसमें माननीय न्यायालय द्वारा यह अवधारित किया गया है कि जहाँ मूल इलैक्ट्रोनिक दस्तावेज प्रस्तुत किया जाता है वहाँ धारा 65 बी(4) साक्ष्य अधिनियम के अधीन प्रमाणपत्र आवश्यक नहीं है, लेकिन जहाँ ऐसे इलैक्ट्रोनिक दस्तावेज का द्वितीयक साक्ष्य प्रस्तुत किया जा रहा हो, वहाँ उक्त धारा के अधीन वर्णित प्रमाणपत्र आज्ञापक है। माननीय न्यायालय के प्रति पूर्ण सम्मान प्रकट करते हुए हस्तगत प्रकरण में भी यह पाया जाता है कि अभिकथित compact disc (c.d.) कागज सं० 11 क के साथ आवश्यक प्रमाणपत्र नहीं है। अतः ऐसा इलेक्टानिक दस्तावेज साक्ष्य में ग्राह्य नहीं है।

43. बचावपक्ष के विद्वान अधिवक्ता का यह भी तर्क था कि अभिकथित अवैध पारितोषण की अभिप्राप्ति का भी कोई स्वतंत्र व सम्पोषक साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है। उक्त तर्क के प्रकाश में पत्रावली के अवलोकन से पाया जाता है कि अभियुक्त द्वारा फोन से वादी को देवेन्द्र सिंह के अहाते पर बुलाने पर वह अपने साथ अपनी बुआ का लडका नीरज शर्मा को लेकर पहुंचा था और अवैध पारितोषण की अदायगी के समय उसके द्वारा ही मोबाइल से अभिकथित वीडियो तैयार किया गया था। अभिकथित अदायगी के समय उक्त 100 डायल पी०आर०वी० पर चालक सीट (जहां अभियुक्त बैठा था) के पीछे एक पुलिस सहकर्मी भी बैठा हुआ था। इस तथ्य की पुष्टि शिकायकर्ता पी०डब्लयू० 2 केशवदेव द्वारा इस रुप में की गयी है कि रुपये प्रदान करते समय उसने अपने साथी नीरज शर्मा से उस घटना का वीडियों बनवाया था। उस समय अभियुक्त देवेन्द्र के अहाते के गेट के बाहर पेड के नीचे वाहन खडा करके उसमें बैठा था। उस समय उस वाहन में दो पुलिसकर्मी और बैठे थे जिनको वह न तो पहचानता है और न ही उनके नाम जानता है। इस प्रकार इस साक्षी के कथनों से यह विदित हो रहा है कि अभिकथित अवैध पारितोषण की अदायगी के समय उसका साथी नीरज शर्मा तथा पुलिसकर्मी मौजूद थे। उक्त दोनों व्यक्ति इस मामले में महत्वपुर्ण साक्षी थे लेकिन विवेचक द्वारा उन्हे अपने आरोपपत्र में बतौर साक्षी नामित नहीं किया गया है।

44. इसी संदर्भ में पत्रावली पर उपलब्ध प्रारंभिक जांच आख्या कागज सं० 14 ख के अवलोकन से यह विदित हो रहा है कि प्रारंभिक जांच कर्ता सतेन्द्र कुमार, तत्कालीन क्षेत्राधिकारी सिकन्द्राराऊ द्वारा अपनी विस्तृत रिपोर्ट दिनांकित 31.07.2017 पुलिस अधीक्षक हाथरस को प्रेषित किया गया है, जिसमें उक्त दोनों आरक्षीगण 210 राकेश कुमार शर्मा तथा 128 सुदेश कुमार के रुप में नामित है। जहां आरक्षी सुदेश कुमार द्वारा यह व्यक्त किया गया है कि घटना के समय पास की दुकान में बैठकर वह खाना खाने लगा था और उसके सामने किसी प्रकार के लेन–देन की कोई घटना नहीं हुई थी। वहीं आरक्षी राकेश कुमार शर्मा द्वारा यह व्यक्त किया गया है कि वह चालक आरक्षी के पीछे वाली सीट पर बैठा था। चालक आरक्षी अखिलेश यादव से दो आदमी मोटरसाईकिल पर आकर उससे बातचीत कर रहे थे। उसने पीछे की सीट से देखा था कि आरक्षी अखिलेश यादव 100–100 के नोट गिन रहा था। अखिलेश यादव ने उन लोगों से यह भी कहा था कि यदि गाडी का फैसला नहीं हुआ होता तो वह रिपोर्ट करता। इसके बाद हाय हैलो करके वह दोनों लोग मोटरसाईकिल से चले गये। इस प्रकार इस साक्षी के कथनों से यह प्रकट हो रहा है कि वादी तथा अभियुक्त के मध्य किसी गाडी के मामले का फैसला हुआ था और उसी फैसले के अनुरुप वादी पक्ष द्वारा अभियुक्त को धनराशि अदा की गयी थी, जो कदापि अवैध पारितोषण की श्रेणी में नहीं हो सकती।

45. बचावपक्ष के विद्वान अधिवक्ता का यह भी तर्क था कि अभिकथित अवैध पारितोषण की धनराशि की बरामदगी भी हस्तगत प्रकरण में नहीं हुई है। इस संदर्भ में पत्रावली के सम्यक अवलोकन से बचावपक्ष के तर्कों में न्यायालय को बल मिलता है। इसी संदर्भ में विवेचक पी०डब्लयू० 3 योगेश कुमार का यह कथन भी सुसंगत है कि उसने अभियुक्त के कोई रुपया बरामद नही किया था। उसने कोशिश की थी परन्तु बरामदगी नहीं हुई थी। लेकिन इस साक्षी द्वारा अपने कथनों में यह व्यक्त नहीं किया गया है कि उसके द्वारा अभिकथित धनराशि की बरामदगी के संबंध में क्या और कैसा प्रयास किया गया था? इस प्रकार हस्तगत प्रकरण में अभिकथित उत्कौच धनराशि की बरामदगी भी नहीं हो सकी है, जो अभियोजन पक्ष को प्रतिकूल ढंग से प्रभावित कर रही है।

46. बचावपक्ष के विद्वान अधिवक्ता का यह भी तर्क था कि अभिकथित अभियोजन स्वीकृति न्यायिक मस्तिष्क प्रयोग के बिना ही निर्गत की गई है। साथ ही उक्त स्वीकृति धारा 19 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के आज्ञापक उपबंध के अनुशरण में निर्गत नहीं की गयी है, इसलिए साक्ष्य में ग्राह्य नहीं है। इस सन्दर्भ में पत्रावली पर उपलब्ध अभियोजन स्वीकृति प्रदर्श क–6 के अवलोकन से यह पाया जाता है कि तत्कालीन पुलिस अधीक्षक हाथरस सुशील घूले पी०डब्लयू० 4 द्वारा यह अभियोजन स्वीकृति अभियुक्त के विरुद्ध मु०अ०सं० 503/2017, धारा 323,504 भा०दं०सं० व धारा 7/13 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, थाना सिकन्द्राराऊ, जनपद हाथरस के प्रकरण में विवेचक द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट दिनांकित 22.10.2017 के प्रकाश में निर्गत की गयी है। अभियोजन स्वीकृति आदेश में ही यह अंकित है कि दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 197 के अंतर्गत अभियोजन स्वीकृति देने में कोई विधिक अवरोध नहीं है। तदानुसार उक्त अभियोजन स्वीकृति निर्गत की गयी है। इस संदर्भ में यह व्यक्त करना समीचीन होगा कि भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के मामलों में विधिक अभियोजन स्वीकृति धारा 19 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के आज्ञापक उपबंध के प्रकाश में निर्गत की जाती है। लेकिन हस्तगत प्रकरण में धारा 7/13 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अधीन विचारण होने के बावजूद धारा 19 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अधीन अभियोजन स्वीकृति का अभाव है, जो सम्पूर्ण अभियोजन कार्यवाही को दूषित कर देती है।

47. इसी संदर्भ में यह भी व्यक्त करना सुसंगत होगा कि अभियोजन स्वीकृति प्रदाता/सक्षम प्राधिकारी द्वारा उक्त अभियोजन स्वीकृति निर्गत करने का समाधान होना यह बताया गया है कि अभियोग दैनिकियों का

अवलोकन उसके द्वारा किया गया लेकिन यह स्पष्ट रुप से व्यक्त नहीं किया गया है कि अभियोग दैनिकियों के अलावा अन्य कोई प्रपत्र भी उसके समक्ष प्रस्तुत किया गया था अथवा नहीं। इस प्रकार इस साक्षी के उक्त कथनों से यह प्रकट हो रहा है कि उसके द्वारा मामले से सम्बन्धित सुसंगत प्रपत्रों के बिना अवलोकन के ही और न्यायिक मस्तिष्क का बिना प्रयोग किये ही, अभियोजन अनुमति निर्गत की गई है, जो साक्ष्य में ग्राह्य नहीं है।

48. बचावपक्ष की तरफ से माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्णीत विधि–व्यवस्था *पी०एल० टटवाल बनाम मध्य प्रदेश राज्य, 2014 AIAR(Criminal) 313* पर न्यायालय का ध्यान आकृष्ट कराया गया, जिसमें माननीय न्यायालय द्वारा किसी लोकसेवक के विरूद्ध अभियोजन हेतु अनुमति के संबंध में 7 मुख्य सिद्धान्तों का उल्लेख किया गया है, जिनमें सक्षम प्राधिकारी द्वारा न्यायिक मस्तिष्क का प्रयोग और उसकी संतुष्टि परमावश्यक है। इसी पक्ष द्वारा माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा निर्णीत विधि–व्यवस्था *ऋषि कुमार अग्रवाल बनाम उ०प्र० राज्य, 2008(2) J.I.C. 127 (All)* पर न्यायालय का ध्यान आकृष्ट कराया गया, जिसमें माननीय न्यायालय द्वारा यह विधि–सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है कि सक्षम प्राधिकारी का मस्तिष्क किसी बाह्य बल का दबाव महसूस नहीं करना चाहिए और ना ही उसके ऊपर ऐसा कोई बाह्य बल डाला जाना चाहिए कि वह अपना निर्णय किसी एक तरफ या किसी दूसरी तरफ आवश्यक रूप से ले। माननीय न्यायालय के प्रति पूर्ण सम्मान प्रकट करते हुए, हस्तगत प्रकरण में भी यह पाया जाता है कि मामले के विवेचक द्वारा पुलिस अधीक्षक हाथरस को प्रेषित रिपोर्ट दिनांकि 22.10.2017 के प्रकाश में अभियोजन स्वीकृति प्रदर्श क–6 निर्गत की गई है, लेकिन उसमें आवश्यक अभियोजन प्रपत्रों के अवलोकन या परिशीलन की सम्भाव्यता नगण्य है। इससे ऐसा प्रकट होता है कि सक्षम प्राधिकारी द्वारा न्यायिक मस्तिष्क का बिना प्रयोग किये, अभियोजन पूर्वानुमति निर्गत की गई है।

49. बचावपक्ष के विद्वान अधिवक्ता का यह भी तर्क था कि बचाव अभिकथन तथा बचाव साक्ष्य से अभियोजन कथानक संदिग्ध हो जाता है। बचाव अभिकथन अभियुक्त द्वारा कथन अंतर्गत धारा 313 दं०प्र०सं० में स्पष्ट रुप से व्यक्त किया गया है जो अभिकथन उसके द्वारा प्रारंभिक जांच से ही उठाया जाता रहा है। उक्त तर्क के प्रकाश में पत्रावली के अवलोकन से पाया जाता है कि अभियुक्त द्वारा अपने कथन अंतर्गत धारा 313 दं०प्र०सं० में यह विशिष्ठ अभिकथन व्यक्त किया गया है कि वह 100 डायल पी०आर०वी० सं० 1111 पर नियुक्त था। दिनांक 29/30–06–2017 को नाईट ड्यूटी समाप्त करके वह दिनांक 30–06–2017 को अपने मित्र डा० धीरज चौधरी के साथ डिजायर गाडी, जो उनके फूफा उदय सिंह पुत्र बनी सिंह, निवासी तालसपुर, जनपद अलीगढ के नाम है, से क्रय की थी; से हसायन कस्बा में गया था। हसायन बाजार में वार्ड सं० 3, मौहल्ला अहीरान खेडा, नाहर सिंह के मकान के पास सामने से एक बुग्गी को आता देखकर सडक पर स्थान कम देखकर उसने कार को एक साइड में खड़ा कर दिया था। तभी उसके पीछे से बिना नम्बर की एक नयी अपाची मोटरसाईकिल, जिस पर तीन लोग सवार थे, आयी और कार में पीछे से कार में टक्कर मारी तथा कार की दाहिनी साइड से जबरदस्त रगड लगाते हुये चली गयी। आगे बाईक चालक को लोगो ने पकड लिया। चालक ने अपना नाम भूपेन्द्र कुशवाहा पुत्र नेत्रपाल सिंह बताया था। उसने उससे कानूनी कार्यवाही के लिए थाने चलने के लिए कहा था तो वह हाथ–पैर जोडने लगा था कि उसकी नयी गाडी है, अभी कागज व बीमा भी नहीं है, यहीं फैसला कर लो। उसका नुकसान वह दे देगा। लोगो ने भी कहा था कि दीवानजी, जब यह नुकसान की भरपायी देने को तैयार है तो फैसला कर लो। तब मौके पर उपस्थित लोगो ने उसकी कार दुर्घटना की भरपायी का फैसला अंकन 10,000/–रूपये में करा दिया था। तब भूपेन्द्र ने मौके पर अंकन 1000/–रूपये उसे दिये और शेष अंकन 7000/–रूपये के लिए कहा कि उसका थ्रेसर केशव देव (वादी) के पास है। उससे बात की गयी तो

केशव ने हामी भरते हुये अंकन 7000/–रूपये दो दिन में देने का वायदा किया था। यह बाते वहां पर उपस्थित नीटू से हुई थी और नीटू को ही अंकन 7000/–रूपये केशव ने देने को कहा था। नीटू ने उससे पैसा मिलने के बाद, पैसा ले जाने के लिए कहा था। शेष अंकन 2000/–रूपये की जिम्मेदारी सोनू पुत्र श्यामबीर ने ली थी। किन्तु वादी ने धोखे से गाडी की नुकसान की भरपायी के अंकन 7000/–रूपये देते समय, पैसा गिनते समय, वीडियो बना ली थी। उसने कोई अवैध पारितोषण प्राप्त नही किया है। केवल अपनी गाडी की क्षति का पैसा प्राप्त किया था, जो भूपेन्द्र व मौके पर उपस्थित लोगों ने गाडी की क्षतिपूर्ति का फैसला कराया था। फैसला करा देने के कारण उसने कोई कानूनी कार्यवाही अपाचे चालक भूपेन्द्र के विरुद्ध नहीं की थी। साथ ही अभियुक्त द्वारा बचाव साक्ष्य के अवसर की याचना भी की गई।

50. इस अभिकथन के समर्थन में बचावपक्ष द्वारा डी०डब्ल्यू० 1 मुकेश कुमार उर्फ नीटू को परीक्षित कराया गया है जिसमें अपनी मुख्य–पृच्छा में बचाव अभिकथन का समर्थन करते हुए यह व्यक्त किया है कि दिनांक 30.06.2017 की घटना है। समय करीब 11.30 बजे दिन का था। गांव के मुकेश की दुकान के सामने भीड इकट्ठा हो रही थी। वह वहां पर पहुंचा तो अखिलेश यादव अपनी स्विफट डिजायर गाडी लेकर आया था। उसकी गाडी में साईड में आगे से पीछे तक रगड उसने देखी थी। भूपेन्द्र नामक व्यक्ति ने अपनी अपाचे गाडी से रगड मारी थी। इस मोटरसाईकिल पर भूपेन्द्र के अलावा दो अन्य व्यक्ति और थे। अखिलेश, भूपेन्द्र के खिलाफ रिपोर्ट लिखाने की बात कर रहा था। तब भूपेन्द्र ने कहा था कि उसकी अपाचे मोटरसाईकिल नयी है और उसपर नम्बर भी नहीं पडा है। वह अखिलेश की गाडी का नुकसान देने को तैयार है, रिपोर्ट मत करो। तब वहा उपस्थित लोगों ने व उसने दोनों के बीच दस हजार रुपये में फैसला, गाडी के नुकसान की भरपाई का, करा दिया। तब अपाचे चालक ने एक हजार रुपये अखिलेश को दे दिये थे। दो हजार रुपये सोनू पुत्र श्यामवीर ने भूपेन्द्र को और दिये। तब भी सात हजार रुपये भूपेन्द्र को देने के लिये कहा गया था तो भूपेन्द्र ने अपने परिचित केशव पुत्र नरेन्द्र, निवासी छीपीपुर को फोन कर सात हजार रुपये उसे देने को कहा था, जो वह अखिलेश को देता। भूपेन्द्र का थ्रेसर केशव के यहा पर रखा हुआ था। तब उसने कह दिया था कि जब उसे केशव पैसा दे देगा, तो वह अखिलेश को दे देगा। किन्तु केशव ने उससे बार–बार कहने पर भी पैसा नहीं भिजवाया। वह कई बार उसके घर पर भी गया था। लगभग एक माह बाद केशव ने उससे अखिलेश का मोबाइल नम्बर मांगा था कि वह स्वयं जाकर अखिलेश को रुपये दे देगा। बाद में उसे पता चला कि केशव ने अखिलेश यादव के खिलाफ रिश्वत मांगने का झूठा मुकदमा लिखा दिया था। तब उसने व अन्य लोगों ने पुलिस अधीक्षक को एक्सीडेंट को सही घटना बताते हुए, शपथपत्र दिये थे।

51. इसी प्रकार डी०डब्ल्यू० 2 रामप्रकाश द्वारा भी बचाव अभिकथन का समर्थन करते हुए अपनी मुख्य–पृच्छा में यह अभिकथन किया गया है कि वह एक दुकानदार है और परचून की दुकान करता है। दिनांक 30.06.2017 को सुबह 11.30 बजे वह अपनी दुकान के लिये सामान खरीदने गया था। उस समय मुकेश की दुकान के सामने काफी भीड इकट्ठा थी। कस्बे में अखिलेश यादव अपनी स्वीफ्ट डिजायर गाडी से आया था और उसकी गाडी में अपाचे मोटर साईकिल, जो भूपेन्द्र की थी, ने अखिलेश की गाडी में रगड मारकर काफी नुकसान पहुंचा दिया था। अखिलेश भूपेन्द्र के विरुद्ध रिपोर्ट लिखाने को कह रहा था। भूपेन्द्र के साथ दो अन्य लोग भी थे। भूपेन्द्र अखिलेश से रिपोर्ट करने को मना कर रहा था। तब उसने व उपरोक्त भीड ने अखिलेश को समझा दिया था कि उसकी गाडी के नुकसान के पैसे देने को भूपेन्द्र तैयार है। अब रिपोर्ट लिखाने की जरुरत नहीं है। अखिलेश ने वहां उपस्थित लोगों की बात मान ली थी। उसने अखिलेश की गाडी के नुकसान का दस हजार रुपये में फैसला करा दिया था। भूपेन्द्र ने तभी एक हजार रुपये अखिलेश को दे दिये थे और दो हजार रुपये सोनू पुत्र श्यामवीर ने

अखिलेश को देने को कहा था। बाकी के सात हजार रुपये केशव पुत्र नरेन्द्र, निवासी छीपीपुर से, जो उसके गांव के पडोस का है, अखिलेश को देने के लिये, नीटू उर्फ मूकेश पुत्र रामकिशोर को देने के लिये हां करवाया था। एक माह तक भी केशव ने नीटू उर्फ मुकेश के बार–बार कहने पर भी सात हजार रुपये नहीं दिये थे। करीब एक माह बाद उसके पडोसी नीटू उर्फ मुकेश से अखिलेश का मोबाइल नम्बर लेकर केशव देव गया था और कहा था कि वह स्वयं जाकर अखिलेश को पैसा दे देगा। बाद में उसे पता चला था कि केशव ने अखिलेश के खिलाफ रिश्वत मांगने का झूठा मुकदमा लिखा दिया है। सही बात से अवगत कराते हुए, उसने एक शपथपत्र पुलिस अधीक्षक, हाथरस को दिया था। इस प्रकार उक्त दोनों साक्षीगण द्वारा अपने–अपने कथनों में बचाव अभिकथन का पूर्ण समर्थन किया गया है। उक्त दोनों साक्षीगण से विद्वान विशेष लोक अभियोजक द्वारा प्रति–पृच्छा की गयी लेकिन ऐसा कोई तथ्य प्रकट नहीं हो सका कि बचावपक्ष के अभिकथनों पर विश्वास प्रकट न किया जा सके।

52. इसी संदर्भ में यह व्यक्त करना भी सुसंगत होगा कि अभिकथित बचाव अभिकथन, अभियुक्त द्वारा मात्र इस न्यायालय के समक्ष ही नहीं लिया गया है बल्कि इस संबंध में गठित प्रारंभिक जांच में भी यही अभिकथन अभियुक्त द्वारा लिया गया था, इस तथ्य की पुष्टि पत्रावली पर उपलब्ध प्रारंभिक जांच रिपोर्ट कागज सं० 14 ख के अवलोकन से भी हो रही है। उक्त प्रारंभिक जांच में ही बचाव साक्षीगण के नामों का भी उल्लेख है। उक्त बचाव साक्षीगण द्वारा दौरान विवेचना अपने–अपने कथनों के संबंध में शपथपत्र पुलिस अधीक्षक, हाथरस को भी दिया गया था। इसलिये यह नहीं कहा जा सकता कि अभिकथित बचाव अभिकथन इस न्यायालय के समक्ष पहली बार उठाया गया हो।

53. इसी संदर्भ में अभियोजन साक्षी पी०डब्लयू० 1 हेड कां० 95 कायम सिंह यादव के प्रति–पृच्छा के कथन का उल्लेख किया जाना सुसंगत होगा जिसमें उसने व्यक्त किया है कि तहरीर में किसी और स्थान जैसे नहर आदि की घटना का कोई उल्लेख नहीं है। वादी ने अपनी तहरीर में उसके साथ कोई एक्सीडेंट वाली घटना नहीं लिखी थी। वादी का मुल्जिम अखिलेश यादव से एक्सीडेंट को लेकर विवाद था।

54. इसी संदर्भ में पी०डब्लयू० 2 केशव देव का भी यह कथन सुसंगत है कि उसका सिकन्द्राराऊ कस्बे में आना–जाना है। वहां के लोगों को वह जानता–पहचानता है। वह भूपेन्द्र कुशवाहा पुत्र नेत्रपाल सिंह को जानता है। नीटू उर्फ मुकेश पुत्र रामकिशोर को भी जानता है। वह सिकन्द्राराऊ के अन्य लोगों को भी जानता है परन्तु उनके नाम नहीं बता सकता। उसे नहीं पता कि अखिलेश यादव की कार अपाचे मोटरसाईकिल से किस तारीख को टकरायी थी। उसके पास भूपेन्द्र कुशवाहा का थ्रेसर वहीं आजतक खडा है। उसने किसी गाडी के नुकसानी देने की कोई गारन्टी नहीं दी थी। लेकिन इसी साक्षी ने आगे यह भी स्पष्ट कर दिया है कि यह बात सही है कि उसने अखिलेश यादव की शिकायत उच्चाधिकारियों से नहीं की थी कि वह उसे धमकी देकर फोन से रिश्वत मांग रहा है क्योंकि रिश्वत देने वाली बात ही नहीं थी। इस प्रकार उक्त दोनों अभियोजन साक्षीगण के उक्त कथनों से बचाव अभिकथन का आंशिक समर्थन हो रहा है। साथ ही शिकायतकर्ता द्वारा यह स्वीकार भी कर लिया गया है कि रिश्वत मांगने जैसी बात न होने के कारण ही उसके द्वारा उच्चाधिकारियों से तत्समय शिकायत नहीं की गयी थी।

55. बचावपक्ष की तरफ से माननीय सर्वोच्च न्यायालय की निर्णीत विधि–व्यवस्था *रीना हजारिका बनाम असम राज्य, 2018(3) JIC 752* पर न्यायालय का ध्यान आकृष्ट कराया गया, जिसमें यह अवधारित किया गया है कि अभियोजन साक्ष्य समाप्त होने के उपरान्त कथन अन्तर्गत धारा 313 द०प्र०सं० में यदि अभियुक्त कोई बचाव लेता है तो न्यायालय उसपर विचार करने के लिए आबद्ध है। यदि न्यायालय ऐसा नहीं करती है तो पारित दोषसिद्धि आदेश दूषित हो जाता है। अभियोजन की तरह, बचावपक्ष से यह उम्मीद नहीं की जा सकती कि

वह अपने बचाव कथन को युक्ति–युक्त संदेह से परे साबित करे। बचावपक्ष द्वारा साक्ष्यों से सम्भाव्यता की प्रधानता के आधार पर संदेह उत्पन्न किया जाना ही पर्याप्त है।

56. इसी पक्ष द्वारा माननीय सर्वोच्च न्यायालय की पूर्णपीठ द्वारा निर्णीत विधि–व्यवस्था *परमिन्दर कौर उर्फ पी०पी० कौर उर्फ सोनी बनाम पंजाब राज्य, दाण्डिक अपील संख्या 283/2011, निर्णीत दिनांक 28.07.2020* पर न्यायालय का ध्यान आकृष्ट कराया गया, जिसमें माननीय न्यायालय द्वारा यह विधि सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है कि अभियुक्त अपने कथन अन्तर्गत धारा 313 द०प्र०सं० में बचाव कथन का वैकल्पिक संस्करण भी ले सकता है। उसे इस हेतु निषेधित नहीं किया जा सकता। माननीय न्यायालय के प्रति पूर्ण सम्मान प्रकट करते हुए, हस्तगत प्रकरण में भी यह पाया जाता है कि बचावपक्ष द्वारा जो बचाव अभिकथन व्यक्त किया गया है, उसका खण्डन अभियोजन पक्ष द्वारा पूर्ण रुपेण नहीं किया गया है, बल्कि आंशिक समर्थन ही व्यक्त किया गया है। इसलिए इस बचाव अभिकथन पर विश्वास प्रकट ना करना घातक होगा।

57. इस प्रकार मामले के तथ्यों–परिस्थितियों, उभयपक्ष द्वारा प्रस्तुत किये गये साक्ष्यों तथा उक्त निर्णीत विधि–व्यवस्थाओं के प्रकाश में व्यक्त किये गये उपरोक्त निष्कर्षों से यह स्पष्ट हो रहा है कि अभियोजन पक्ष अभियुक्त अखिलेश यादव, तत्कालीन सिपाही के विरूद्ध लगाये गये आरोप अन्तर्गत धारा 7/13(2) भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम को युक्ति–युक्त सन्देह से परे साबित करने में असफल रहा है। फलतः अभियुक्त आरोपित धारा के अपराध में दोषमुक्त किये जाने योग्य है।

आदेश

अभियुक्त अखिलेश यादव, तत्कालीन सिपाही को आरोपित अपराध अन्तर्गत धारा 7/13(2) भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम से दोषमुक्त किया जाता है। अभियुक्त जमानत पर है। उसका व्यक्तिगत बंधपत्र निरस्त किया जाता है तथा प्रतिभू पत्रों को निरस्त करते हुए प्रतिभूगण को उनके उत्तरदायित्वों से उन्मोचित किया जाता है।

दिनांक: 08.12.2021

(पी०एन० पाण्डेय)
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश,
विशेष न्यायालय सं०–2 (भ्रष्टा०निवा०अधि०) मेरठ

निर्णय आज तैयार कर, हस्ताक्षरित व दिनांकित कर, खुले न्यायालय में उभयपक्ष की उपस्थिति में उदघोषित किया गया।

दिनांक: 08.12.2021

(पी०एन० पाण्डेय)
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश,
विशेष न्यायालय सं०–2 (भ्रष्टा०निवा०अधि०) मेरठ